कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066.
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110 066.

केवल वैबसाईट के माध्यम से

संख्या: समन्वय /5(15)2009/International worker/ 3927 — दिनांक 28.06.2012

02 JUL 2012

सेवा में,

सभी आंचलिक अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय कार्यालय ।

विषय:- **कर्मचारी भविष्य निधि योजना , 1952 में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्यक्त विषय के संबंध में एतदद्वारा सलंग्न श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पत्र संख्या एस. 35025 /09/2011 / एस.एस - ।। दिनांक 24.05.2012 एवं भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 382(अ) दिनांक 24.05.2012 की प्रति को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्राप्त करें।

भवदीया,

अनिता

(अनिता एस. दीक्षित)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। (समन्वय)

अनुलग्नक : यथोपरि

प्रतिलिपि:-

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव .
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी / सभी आंचलिक लेखा कार्यालय/ मुख्य सतर्कता अधिकारी / सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय/ निदेशक, नाटरस .
3. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सभी सहायक भविष्य निधि आयुक्त , मुख्यालय .
4. सभी निरीक्षण अधिकारी / अनुभाग अधिकारी , सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान.
5. महा सचिव कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारी एसोसिएशन .
6. महा सचिव कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन .
7. महा सचिव कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ यूनियन मुख्यालय .
8. वैब प्रशासक वैबसाईड पर अपलोड करने हेतु .

शिवकुमार

(डॉ. शिव कुमार)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- ।। (समन्वय)

1312
3/7/12

Kind attention: Sh K.C. Pandey, ACC EPFO. Ms Aparna Sinha, M/o Commerce

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2012/ज्येष्ठ 3, 1934
No. 231] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2012/JYAISTHA 3, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2012

सा.का.नि. 382(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि (तृतीय संशोधन) योजना, 2012 कही जाएगी।
   (2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पैरा (83) में, अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों के संबंध में विशेष उपबंध, '(घ)"अपवर्जित कर्मचारी" कोष्ठकों और शब्दों से प्रारम्भ होने वाले तथा "ऐसे किसी करार" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले अंश' के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

(घ) "अपवर्जित कर्मचारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार जो अपने मूल देश के, जिसके साथ भारत ने पारस्परिकता के आधार पर कोई सामाजिक सुरक्षा करार किया है, नागरिक या निवासी के रूप में योगदान दे रहा है और ऐसी अवधि और निबंधनों के लिए, जो ऐसे किसी करार में विनिर्दिष्ट किए गए हों, विदोजित कर्मकार की प्रास्थिति का उपभोग कर रहा है; अथवा

(ii) कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार जो अपने मूल देश के, जिसके साथ भारत ने 1 अक्तूबर, 2008 से पूर्व सामाजिक सुरक्षा की संबंधित खण्ड के उल्लेख संबंधी कोई द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक करार किया है, नागरिक या निवासी के रूप में योगदान दे रहा है, जो मेजबान देश की सामाजिक सुरक्षा निधि में अंशदान देने हेतु देश के प्राकृतिक व्यक्तियों को छूट प्रदान करता है;'।

[फा. सं. एस-35025/09/2011/एस एस-II]

रवि माथुर, अपर सचिव

पाद टिप्पणी : कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में उ.सं.का. 1509 दिनांक 2 सितम्बर, 1952 के तहत प्रकाशित की गयी थी और पिछली बार इसे सा.का.नि. 336(अ.), दिनांक 4 मई, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2012

G.S.R. 382(E).— In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely: -

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 83, relating to special provisions in respect of International Workers, for the portion beginning with the brackets, letter and words '(f) "excluded employee" and ending with the words "such an agreement",' the following brackets, letter and words shall be substituted, namely: -

'(f) "excluded employee" means,-

(i) an International Worker, who is contributing to a social security programme of his country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered into a social security agreement on reciprocity basis and enjoying the status of detached worker for the period and terms, as specified in such an agreement ; or

(ii) an International Worker, who is contributing to a social security programme of his country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered into a bilateral comprehensive economic agreement containing a clause on social security prior to 1st October, 2008, which specifically exempts natural persons of either country to contribute to the social security fund of the host country;'.

[F. No. S-35025/09/2011/SS-II]

RAVI MATHUR, Addl. Secy

Foot Note : The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 1509 dated the 2nd September, 1952 and lastly amended *vide* number G.S.R.336(E), dated the 4th May, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.